

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या 2491/सोलह-1-2016-14(44)/2015
लखनऊ दिनांक: 22 जून, 2016

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली 2008 की धारा-3(1) के अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5 (डब्लू-48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गई है। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समिति द्वारा मानक शुल्क के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. अतः समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित को ध्यान में रखते हुए समस्त संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगा।

शिवाकान्त द्विवेदी
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


कुलसचिव, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ।

प्रमुख सचिव, सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक कल्याण विभाग।

समस्त जिलाधिकारी।

गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अवध किशोर)
अनु सचिव